

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोटा (राज0)

क्रमांक: 4902-4911

13-03-2026
दिनांक : 13/03/26

सार्वजनिक नीलामी विज्ञप्ति

GF&AR पार्टनियम -II नियम-25

सर्वसाधारण एवं विशेषकर स्केप का करोबार करने वाले कबाडी एवं व्यापारी जो वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत पंजीकृत है को सूचित किया जाता है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोटा के स्टॉक के नाकारा/अनुपयोगी लोहे व लकड़ी की विभिन्न मदों की सार्वजनिक नीलामी (जिस स्थिति में है उसी स्थिति में) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग- II के नियम-23 में प्रावधानानुसार निम्नांकित विवरणानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोटा परिसर में दिनांक 27.03.2026 समय 12:00 पी.एम. से प्रारंभ की जावेगी।

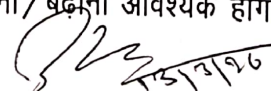
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोटा परिसर में दिनांक 27.03.2026 को 12:00 पी.एम. बजे से प्रारंभ की जावेगी।

क्र. सं.	नाकारा/अनुपयोगी मदों का विवरण	पुस्तंकित मूल्य लगभग	बयाना राशि नकद/बैंक ड्राफ्ट	आरक्षित मूल्य (प्रारंभिक बोली)	नीलामी दिनांक व समय	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
01.	लोहे व लकड़ी की कुर्सी व अन्य फर्नीचर्स व ऑफिस आइटम्स	629549/-	12600/-	8000/-	27.03.2026 12:00 PM	जी.एस.टी. @ 18% अलग से देय होगा।

नीलामी शर्तें :-

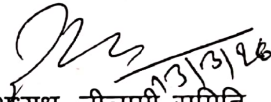
इच्छुक व्यक्ति नीलामी के समय उपस्थित होकर निम्न शर्तों के अधीन बोली लगा सकते हैं-

- समस्त नाकारा मदों की नीलामी एकल लॉट के रूप में एक मुश्त की जावेगी। नाकारा/अनुपयोगी सामानों को भौतिक निरीक्षण नीलामी से पूर्व कार्यालय समय में जिला न्यायालय परिसर में किया जा सकता है।
- राज्य वस्तु एवं सेवा कर (S.G.S.T.) अधिनियम-2017 की धारा 24(iii) के अन्तर्गत देय GST. रिवर्स चार्ज के तहत जमा करवाने हेतु, नीलामी में बाली लगाने हेतु व्यवहारी को जी.एस.टी. के अन्तर्गत पंजीयन धारी होना अनिवार्य है। बोली में भाग लेने के लिए जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की स्वप्रमाणित प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोटा में प्रस्तुत करनी होगी।
- नीलामी बोली प्रारम्भ होने से पूर्व प्रत्येक बोलीदाता को रुपये 12,600/- नकद अथवा बैंकर चैक, डिमान्ड ड्राफ्ट से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोटा के पक्ष में बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी) जमा करवानी होगी। नीलामी बोली प्रारम्भ हो जाने के बाद चलती नीलामी में किसी भी व्यवहारी की बयाना राशि जमा नहीं की जावेगी तथा उसे नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।
- सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम- 21(iv) के अनुसार आरक्षित मूल्य (रिजर्व प्राइज) रुपये 8000/- रहेगा तथा अंतिम बोली पर अलग से @ 18 % GST देय होगा, जिसे क्रेता द्वारा जमा करवाया जावेगा। प्रत्येक बोली कम से कम 100/- रुपये के गुणांक में लगाना/बढ़ाना आवश्यक होगा।


27/3/26

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोटा (राज0)

6. सफल खरीददार को बोली स्वीकृति के अधिनिर्णय के तुरन्त बाद अथवा अधिनिर्णय का पत्र जारी होने से अन्दर सात दिवस में संपूर्ण राशि जिला न्यायालय, कोटा में जमा करवाने तथा स्क्रेप पर देय GST @ 18 % राशि का चालान क्रेता द्वारा राजकोष में जमा करवाने के बाद चालान की प्रति प्रस्तुत करने के बाद ही नीलाम माल सुपुर्द किया जावेगा।
7. सफल बोली के अधिनिर्णय के तुरन्त बाद अथवा अधिनिर्णय पत्र जारी होने से सात दिवस में संपूर्ण राशि मय GST जमा कर, स्वयं के परिवहन पर माल उठाना होगा अन्यथा उसके द्वारा जमा की गई बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी) जब्त करने के दायित्वाधीन होगी।
8. सफल बोलीदाता द्वारा संपूर्ण राशि जमा करवाने के बाद निर्धारित समय में माल नहीं उठाने/हटाने अथवा विलम्ब की स्थिति में माल सुरक्षा की जिम्मेदारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोटा की नहीं होकर, स्वयं क्रेता की होगी।
9. उच्चतम बोलीदाता की बयाना राशि को रोककर, अन्य बोलीदाताओं की बयाना राशि नीलामी समाप्ति के तुरन्त बाद लौटा दी जावेगी।
10. समस्त विवादों का न्यायक्षेत्र कोटा मुख्यालय रहेगा।


अध्यक्ष, नीलामी समिति
न्यायाधीश, एन0डी0पी0एस0 न्यायालय,
कोटा

क्रमांक : 4902-4911

दिनांक: 13/3/26

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही वास्ते—

1. श्रीमान् सदस्य सचिव महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. निदेशक, निदेशालय, जन सम्पर्क विभाग, शासन सचिवालय, राज0 जयपुर
3. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, कोटा
4. सिस्टम ऑफिसर, ई-कोर्ट प्रॉजेक्ट, जिला एवं सेशन न्यायानय, कोटा को उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन जिला न्यायालय, कोटा की वेबसाइट पर कर, पुष्टि उपलब्ध करवाने हेतु।
5. प्रभारी अधिकारी नजारत/लेखा, जिला न्यायालय, कोटा।
6. सहायक नाजिर, जिला न्यायालय, कोटा को ज्ञात विश्वसनीय स्थानीय स्क्रेप व्यापारियों/कबाड़ियों को उक्त नीलामी बावत समय पूर्व ज्ञापित करवाने हेतु।
7. लेखा शाखा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोटा
8. संपादक, दैनिक भास्कर, कोटा को प्रेषित कर लेख है कि डी.पी.आर. दरों पर कोटा संस्करण में 8 गुणा 10 से0मी0 में एक बार प्रकाशित कर बिल सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोटा के नाम प्रेषित करावें।
9. नोटिस बोर्ड जिला न्यायालय/संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर/सूचना केन्द्र/कोषालय, कोटा पर चरपा हेतु।


अध्यक्ष, नीलामी समिति
न्यायाधीश, एन0डी0पी0एस0 न्यायालय,
कोटा

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोटा (राज0)

क्रमांक: 4912

दिनांक : 13/3/26

सार्वजनिक नीलामी विज्ञप्ति

(संक्षिप्तिकरण)

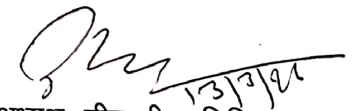
GF&AR पार्टनियम -II नियम-25

सर्वसाधारण एवं विशेषकर स्क्रेप का करोबार करने वाले कबाडी एवं व्यापारी जो वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत पजीकृत है को सूचित किया जाता है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोटा के स्टॉक के नाकारा/अनुपयोगी लोहे व लकडी की विभिन्न मदों की सार्वजनिक नीलामी (जिस स्थिति में है उसी स्थिति में) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग- II के नियम-23 में प्रावधितनुसार निम्नांकित विवरणनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोटा परिसर में दिनांक 27.03.2026 समय 12:00 से प्रारंभ की जावेगी।

क्र. सं.	नाकारा/अनुपयोगी मदों का विवरण	पुस्तकित मूल्य लगभग	बयाना राशि नकद/बैंक ड्राफ्ट	आरक्षित मूल्य (प्रारंभिक बोली)	नीलामी दिनांक व समय	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
01.	लोहे व लकडी की कुर्सी व अन्य फर्नीचर्स व ऑफिस आइटम्स	629549/-	12600/-	8000/-	27.03.2026 12:00 PM	जी.एस.टी. @ 18% अलग से देय होगा।

नीलामी शर्तें :-

- समस्त नाकारा मदों की नीलामी एकल लॉट के रूप में एक मुश्त की जावेगी तथा प्रत्येक बोली को कम से कम 100/- के गुणांक में लगाना/बढ़ाना आवश्यक होगा। नाकारा/अनुपयोगी सामानों को भौतिक निरीक्षण नीलामी से पूर्व कार्यालय समय में जिला न्यायालय परिसर में किया जा सकता है।
- नाकारा/अनुपयोगी सामानों को भौतिक निरीक्षण नीलामी से पूर्व कार्यालय समय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोटा में किया जा सकता है।
- नीलामी की विस्तृत शर्तें जिला न्यायालय कार्यालय की नज्दत एवं लेखा शाखा में तथा विभागीय वेबसाइट <https://districts.ecourt.gov.in/kota> पर देखी जा सकती है।
- समस्त विवादों का न्यायक्षेत्र कोटा मुख्यालय रहेगा।


अध्यक्ष, नीलामी समिति
न्यायाधीश, एन0डी0पी0एस0 न्यायालय,
कोटा